फारम-VII-क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 183 तिथि- 04.06.2016 के संदर्भ में

श्री मनोज कुमार झा एवं रेणु झा, पता-राजेन्द्र नगर, कदमकुआँ, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 183 प्लौट नं0- 384, खाता नं0- 174, तौजी नं0-5778, थाना नं0- 22, मौजा- जमालपुर, पता- थाना-दानापुर, जिला- पटना के बावत निबंधित वास्तुविदों/अभियंताओं के अध्यधीन शर्त द्वारा भवन योजना निबंधन प्लान केस नं0- 132/16-17 है, निबंधित निर्माण क्षेत्रफल 1639.10 वर्ग मीटर एवं G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 461.61 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.00 मी0 चौड़ाई के न्यूनतम पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रस्तावित भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास प्राधिकार/आयोजना प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिकारक्षेत्र दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई है, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए गये या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निमार्ण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौड़ीकरण का भूपट्टी को छोड़कर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निमार्ण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कारवाई कर सकता है।

(15) प्राधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना है जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया हैं तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड़ लगाना सुनिश्चित करेंगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

(23) पब्लिक बिल्डिंग में अपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे किसके लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगें एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर बाहर दिवारी का निर्माण करेंगें।

(27) प्रस्तावित भूखण्ड पर 1500 वर्ग मी0 का एक निर्मित भवन है। आवेदक निर्मित भवन तोड़ने के बाद ही कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगें।

Rauni 2/9/16
कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

2/9/16
सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक– 132 /दिनांक– 02/09/2016

प्रतिलिपि– श्री मनोज कुमार झा एवं रेणु झा, पता-राजेन्द्र नगर, कदमकुआँ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
2/9/16

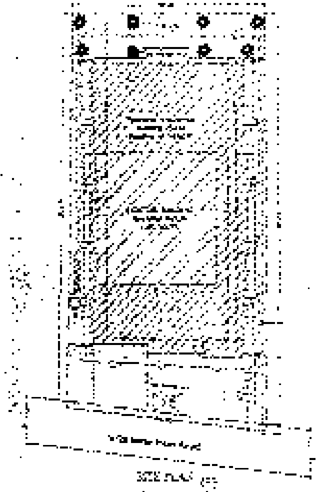

SITE PLAN

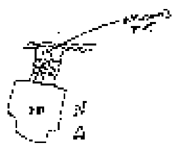

KEY PLAN

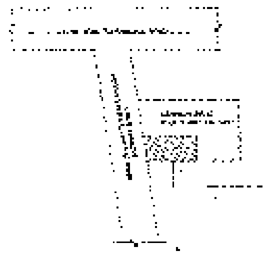

LOCATION PLAN

NTS

FIRE LEGEND

[illegible]

SEPTIC TANK CALCULATION

[illegible]

WATER SUPPLY CALCULATION

[illegible]

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL LVL	LINTEL	REMARKS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
D1	0.90	2.13	0.00	2.55	PANEL DOOR
D2	0.91	2.13	0.00	2.55	PANEL DOOR
D3	0.76	2.13	0.00	2.55	PANEL DOOR
[illegible]	[illegible]	1.67	0.61	2.54	FIXED GLAZED
W1	1.22	1.53	0.91	2.54	FIXED GLAZED
W2	0.91	1.47	1.07	2.54	FIXED GLAZED
W3	0.61	0.91	0.61	2.54	FIXED GLAZED

AREA CALCULATION : -- IN Sq.m

TOTAL PLOT AREA

GROUND FLOOR BUP AREA

FIRST FLOOR BUP AREA

SECOND FLOOR BUP AREA

THIRD FLOOR BUP AREA

FOURTH FLOOR BUP AREA

TOTAL BUP AREA ALL FLOOR

F.A.R. = Total Bup Area / Total Plot Area

PARKING CALCULATION

[illegible]

GREEN AREA CALCULATION

TOTAL SITE AREA = [illegible]

GREEN SPACE AREA [illegible]

TOTAL PROVIDED GREEN SPACE [illegible]

DEVELOPER ADDRESS

[illegible]

PLOT DETAILS

[illegible]

SHEET NO.	SCALE	SHEET NO.
[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIGNATURE OF OWNER

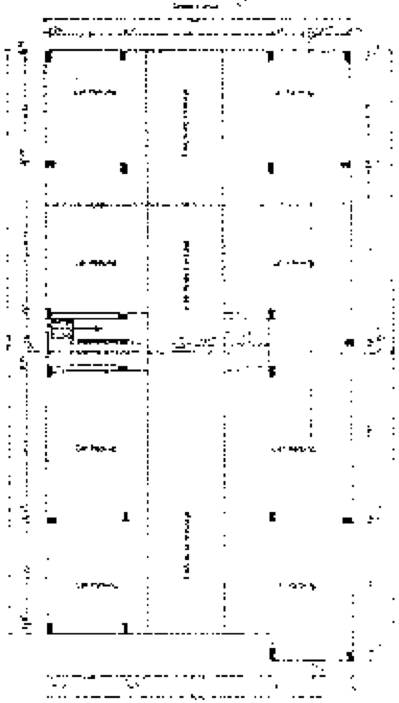

GROUND FLOOR PLAN

Scale 1:100

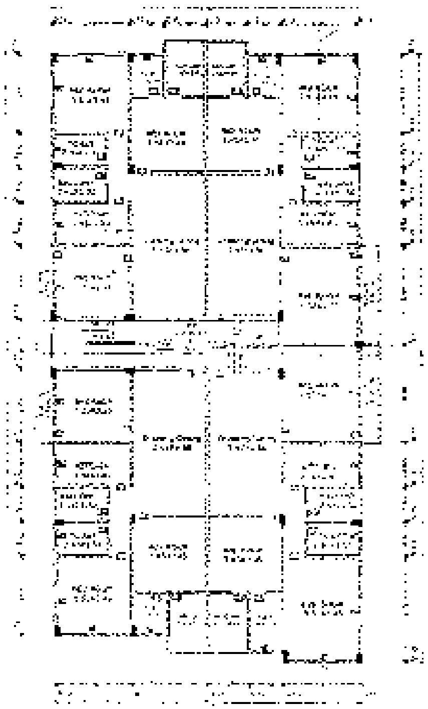

Typical 1st, 2nd ,3rd & 4th FLOOR PLAN

Scale 1:100

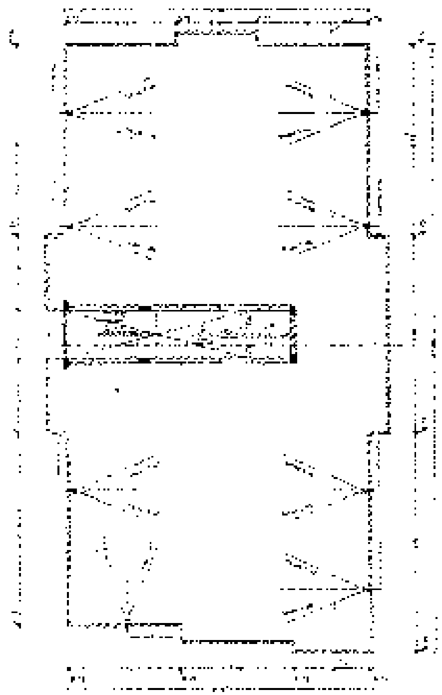

TERRACE FLOOR PLAN

Scale 1:100

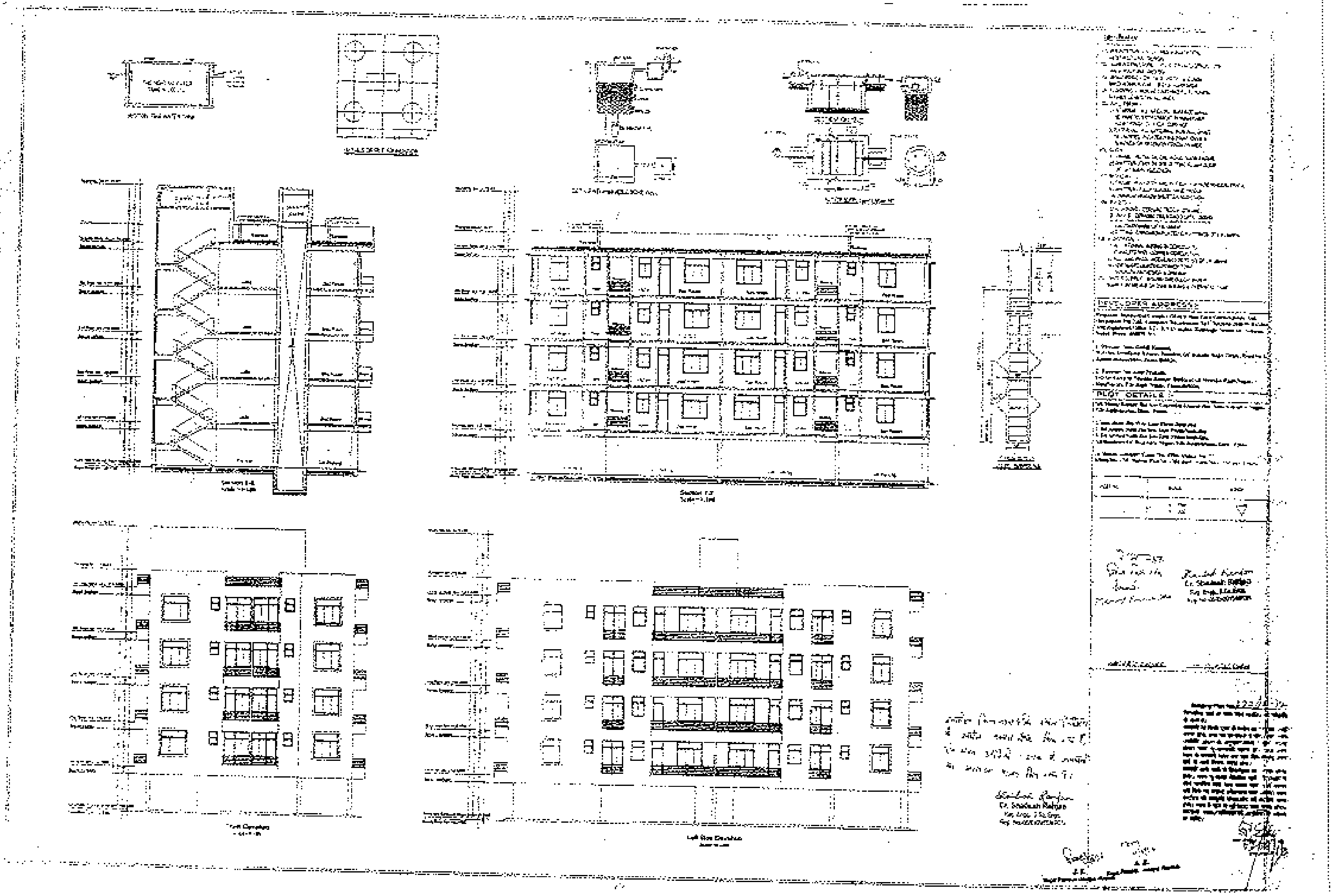
DEVELOPERS ADDRESS
PLOT DETAILS